

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला**भिण्ड (म0प्र0)****आपराधिक प्रक0क्र0-1376 / 15****संस्थित दिनांक-28.12.15**

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

केदार पुत्र भूपसिंह कुशवाह उम्र 24 साल

निवासी ग्राम कनीपुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-**{आज दिनांक 15.05.2017 को घोषित}**

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.11.15 को समय लगभग 20:30 बजे, तेहरा रोड कनीपुरा मोड तिराहा पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखा।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक सुरेशदत्त मिश्रा को दिनांक 25.11.15 को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कनीपुरा मोड पर अवैध कट्टा लिए घूम रहा है जिसकी तस्दीक हेतु मय फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो पुलिस की गाडी को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम पता बताया। जामा तलाशी लेने पर उसके पैट की कमर में एक देशी हाथ का 315 बोर का कट्टा लोडेड हालत में मिला जिसमें से कारतूस अलग किया। अभियुक्त से कट्टा व कारतूस रखने का लायसेंस पूछे जाने पर अभियुक्त ने लायसेंस न होना बताया। समक्ष गवाहान आग्नेय आयुध जब्त कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए। थाने पर आकर अप0क्र0-274/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षीगण के कथन लेख किए गए, कट्टा व कारतूस की जांच कराई गयी, अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.11.15 को समय लगभग 20:30 बजे, तेहरा रोड कनीपुरा मोड़ तिराहा पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखा ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में गौरीशंकर अ0सा0 1, सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 2, सुनील बोहरे अ0सा0 3, किशनलाल राठौर अ0सा0 4, महेन्द्रसिंह अ0सा0 5, मूलचंद अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. जब्तीकर्ता सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि दिनांक 25.11.15 को थाना गोहद चौराहा में एसआई के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को दौराने गश्त मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध कट्टा लिए कनीपुरा तिराहा मोड़ पर खड़ा है जिसकी तस्दीक हेतु मय हमराह फोर्स शासकीय वाहन एम0पी0-03 ए-1406 से मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेरकर पकड़ा तो अभियुक्त ने अपना नाम बताया। तलाशी लेने पर अभियुक्त की कमर में बांयी तरफ पैट के नीचे एक 315 बोर का देशी हाथ का बना कट्टा खुरसे मिला। कट्टा खोलकर देखा तो उसके चैम्बर में एक 315 बोर का कारतूस लगा था। आग्नेय आयुध के संबंध में अभियुक्त से लायसेंस चाहा तो उसने लायसेंस न होना बताया। कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्रपी0 1 व गिर0 कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 2 बनाए जाने का कथन करते हुए उनके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् मय माल अभियुक्त को थाने लाकर रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि किए जाने का कथन करते हैं जिसे प्र0पी0 2 के रूप में बताकर उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् अप0क्र0-274/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्र0पी0 4 की रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्ष्य के समय प्रस्तुत कट्टा व कारतूस क्रमशः ए1 व ए2 बताकर प्रमाणित करते हैं।

7. जब्ती कार्यवाही के साक्षी गौरीशंकर अ0सा0 1 एवं मूलचंद अ0सा0 6 हैं। गौरीशंकर अ0सा0 1 भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वे अभिकथित घटना दिनांक 25.11.15 को एसआई सुरेशदत्त मिश्रा, आरक्षक मूलचंद, प्र0आर0 किशनलाल के साथ कस्बा भ्रमण पर गए थे जहां उन्हें जर्गे मुखबिर सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात् सूचना की तस्दीक हेतु बताए पते पर अभियुक्त को एक 315 बोर के देशी कट्टे व एक 315 बोर का कारतूस बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाए जाने के तथ्य की पुष्टि करते हैं। मूलचंद अ0सा0 6 भी उक्त दिनांक को जब्तीकर्ता अ0सा0 2 के साथ रवाना होने और अभियुक्त

से बिना अनुज्ञप्ति के हाथ का बना 315 बोर का कट्टा व कारतूस जब्त किए जाने के तथ्य की पुष्टि करते हैं। प्र0पी0 1 व 2 पर दोनों ही साक्षी कमशः ए से ए और बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। साथ ही अनुसंधानकर्ता किशनलाल द्वारा उनका कथन लिए जाने की पुष्टि करते हैं।

8. प्रकरण में जब्तीकर्ता सुरेशदत्त अ0सा0 2 के द्वारा अभियुक्त से की गयी जब्ती के संबंध में अपनी अभिसाक्ष्य में पुष्टि की गयी है। प्रतिपरीक्षण में बताते हैं कि वे थाने से 19:20 बजे अर्थात शाम के 7:20 बजे शासकीय वाहन से रवाना हुए थे जिसका नंबर उनके द्वारा बताया गया है। साक्षी अभिकथित रवानगी के संबंध में प्रविष्ट रोजनामचा सान्हा में करना बताते हैं। यद्यपि जब्ती पत्रक में उक्त रोजनामचा सान्हा प्र0पी0 6 का क्रमांक 719 उल्लेखित नहीं हैं किन्तु प्राथमिकी प्रपी0 4 में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया गया है साथ ही वापसी पर प्र0पी0 3 का संदर्भित रोजनामचा सान्हा प्राथमिकी प्र0पी0 4 पर क्रमांक 722 के रूप में उल्लेखित किया गया है। अभियुक्त का यह तर्क है कि जब्ती स्थल सार्वजनिक स्थान कनीपुरा मोड तिराहा बताया गया है जो कि सार्वजनिक लोगों की पहुंच में हैं फिर भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है तथा जब्ती व गिर0 की कार्यवाही के साक्षी पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, ऐसे में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जहां तक अभियुक्त की ओर से किसी स्वतंत्र व्यक्ति को कार्यवाही का साक्षी न बनाए जाने का तर्क प्रस्तुत किया है, इस संबंध में जब्तीकर्ता सुरेशदत्त अ0सा0 2 से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 एवं 5 में पूछा गया जिसमें साक्षी द्वारा बताया गया कि कार्यवाही के समय फोर्स के अलावा अन्य व्यक्ति नहीं था। अन्य पब्लिक के व्यक्ति को जब्ती साक्षी न बनाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर साक्षी का यह कहना है कि रात का समय होने के कारण किसी पब्लिक के व्यक्ति को जब्ती के साक्षी के लिए नहीं तलाशा था। गौरीशंकर अ0सा0 1 कण्डिका 3 में बताते हैं कि अभियुक्त के संबंध में कार्यवाही के समय पुलिस के चार कर्मचारी थे। इस प्रकार से सार्वजनिक स्थान होने पर भी जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 के अनुसार रात्रि करीब 8:30 बजे सर्दी के समय किसी सार्वजनिक व्यक्ति की उपस्थिति न होना अस्वाभाविक नहीं हैं। जहां तक पुलिस साक्षी मात्र होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है तो यह सुस्थापित है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि ऐसा साक्षी पुलिस का व्यक्ति है ऐसी साक्ष्य को अविश्वास किए जाने का युक्तियुक्त आधार उपलब्ध होना चाहिए।

9. साथ ही ऐसा कोई साक्ष्य का नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जावे बल्कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य भी साधारण साक्षी की भांति विश्लेषणीय हैं। न्यायनिर्णय—राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्यः न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप

से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टात- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्ताया सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यों झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनों का समर्थन स्वतंत्र गवाहों ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

10. इस प्रकार से प्रकरण में पुलिस कर्मियों के साक्ष्य में ऐसी कोई भी विसंगति या परिस्थिति उल्लेखित नहीं हुई जिससे कि अभियुक्त के विरुद्ध जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा असत्य कार्यवाही किए जाने व साक्षियों द्वारा असत्य रूप से समर्थन किए जाने का युक्तियुक्त आधार हो, अर्थात् अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त करने का कोई आधार नहीं पाया गया है। उक्त प्रकरण में साक्षी गौरीशंकर अ०सा० 1, मूलचंद अ०सा० 6 तथा किशनलाल अ०सा० 4 तीनों ही व्यक्ति थाने से सुरेशदत्त अ०सा० 2 के साथ इलाका भ्रमण के साथ जाना बताते हैं। जब्तीकर्ता सुरेशदत्त अ०सा० 2 ने कथित जब्तशुदा कट्टा व कारतूस के सीलबंद किए जाने के संबंध कथन किया है। प्र०पी० 1 के जब्ती पत्रक पर थाने की नमूना सील अंकित है। साक्ष्य ही सुरेशदत्त अ०सा० 2 द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान जब्तशुदा कट्टा को आर्टिकल ए 1 तथा कारतूस को ए 2 के रूप में पहचान कर अभियुक्त से जब्तशुदा आग्नेय आयुध के रूप में उनकी पुष्टि की है। अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया कि उसे घर से पकड़ लाए और थाने में रखे कट्टे की जब्ती दिखाकर रंजिशन कट्टा जब्त होना बता दिया है। सर्वप्रथम को अभियुक्त को घर से लाकर थाने में रखा हो अथवा अवैध रूप से निरुद्ध में रखा हो, इस संबंध में कोई भी कार्यवाही अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हैं। जहां तक कथित आग्नेय आयुध अभियान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया हो, ऐसा कोई अभियान का निर्देश अभिलेख पर नहीं हैं और न ही अभियुक्त द्वारा ऐसे किसी झूठे अपराध में लिप्त करने के संबंध में कोई शिकायत की हो, इस संबंध में भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं हैं।

11. प्रकरण में सुनील बौहरे अ०सा० 3 आरमोरर हैं जो जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस की जांच करने पर कट्टा के फायर योग्य व कारतूस के फायर किए जाने योग्य होने का कथन करते हुए जांच रिपोर्ट प्र०पी० 5 बताकर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। महेन्द्र भदौरिया अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधिवत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में सारवान कथन करते हैं। अभियोजन स्वीकृति प्र०पी० 7 बताकर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी व बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। जिला

दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर के संबंध में इस साक्षी का अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन पूर्णतः सुसंगत एवं समर्थनकारी है। किशनलाल अ०सा० 4 विवेचक है जिनके द्वारा आरक्षक गौरीशंकर एवं मूलचंद के कथन अन्वेषण में लिए जाने की पुष्टि की है। इस प्रकार से उक्त तीनों साक्षीगण औपचारिक साक्षी हैं जिनकी साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने हेतु कोई भी तथ्य प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट नहीं हुआ है। अभियुक्त की ओर से उसे मिथ्या अपराध में लिप्त किए जाने का सुझाव अवश्य साक्षीगण को दिया गया किन्तु अभियुक्त से उक्त साक्षियों की कोई दुर्भावना या रंजिश रही हो, ऐसा कोई भी तथ्य न तो अभिलेख पर प्रस्तुत है और न ही प्रमाणित है।

12. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.11.15 को समय लगभग 20:30 बजे, तेहरा रोड कनीपुरा मोड तिराहा पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक कट्टा 315 वोर तथा एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखा। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

13. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं, उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

14. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

15. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के नवयुवक एवं ग्रामीण मजदूर होने के आधार पर उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

16. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार करीब 24 वर्षीय व्यक्ति है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक

स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा **एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को **एक माह का सश्रम कारावास** भुगताया जावे।

17. अभियुक्त से जब्तशुदा आग्नेय आयुध अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किया जावे। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायाल के आदेश का अक्षरशः पालन हो।

18. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दफ़्तर की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

19. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश